



प्रेस नोट - दिनांक 09.02.2025

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।



एसओजी टीम व थाना कोतवाली सदर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो अभियुक्त गिरफ्तार

01 अवैध अद्धी बंदूक, 05 अवैध तमंचा, 09 कारतूस व असलहा बनाने के उपकरण बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी टीम व थाना कोतवाली सदर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को 01 अवैध अद्धी बंदूक, 05 अवैध तमंचा, 09 कारतूस व असलहा बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.02.2025 को थाना कोतवाली सदर पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नेहरूबाग स्थित रेलवे पटरी के पूर्वी किनारे बने रेडीमेड बाउण्ड्री वाल के पास से घेराबंदी कर अभियुक्तगण 1. मूलचन्द पुत्र रामलाल नि0 ग्राम उमरगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष 2. देशराज बढई पुत्र स्व0 छोटेलाल नि0 मेंथी टिकुर थाना मांखी जनपद उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पकड़े हुये दोनों व्यक्तियों द्वारा पूछताछ में बताया कि साहब हम लोग बगल के रेडीमेड बाउण्ड्री वाल के अन्दर तमंचे बनाकर बेचते है। दोनों अभियुक्तों की निशादेही पर 04 अदद तमंचा 315 बोर ,एक अदद तमंचा 12 बोर,एक अदद अद्धी बन्दूक 12 बोर ,05 अदद मिस कारतूस 12 बोर ,एक अदद खोखा 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज, लगभग दो किलो कोयला, एक अदद लोहे का पंखा/ भट्टी, एक लोहे का ठोस टुकड़ा (निहाई), एक लोहे का शिकंजा जिसको कसने के लिए एक लोहे की राड, एक लोहे की 12 बोर की पाइप 24 अंगुल, 02 अदद हैण्ड मशीन लोहे की छेद करने के वाली, 03 अदद छोटी बड़ी हथौड़ी, एक अदद लोहा काटने की आरी व 08 ब्लेड, 02 अदद छोटे बड़े प्लास, 07 अदद लोहे की छोटी बड़ी रेती, 06 अदद लोहे की छेनी छोटी बड़ी, 05 अदद लोहे की सरिया के टुकड़े, 10 अदद लोहे की छोटी बड़ी सुम्मी, 02 अदद लोहे के बाडी के पल्ले, 08 अदद छोटी बड़ी स्प्रिंग, 07 अदद लोहे के ट्रिगर, 27 अदद लोहे का वर्मा छेद करने वाला, 01 अदद बाडी लोहे का, 01 अदद ग्राइंडर मशीन व 04 अदद पत्ते, 01 अदद हैमर मशीन, 04 अदद 315 बोर छोटी बड़ी पाइप, 02 अदद बडे शुम्बा लोहे का, 01 अदद रंगमाल लगभग 02 फीट लम्बा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मूलचन्द पुत्र रामलाल नि० ग्राम उमरगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष
2. देशराज बढई पुत्र स्व० छोटेलाल नि० मेंथी टिकुर थाना मांखी जनपद उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

04 अदद तमंचा 315 बोर ,एक अदद तमंचा 12 बोर,एक अदद अद्धी बन्दूक 12 बोर ,05 अदद मिस कारतूस 12 बोर ,एक अदद खोखा 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज, लगभग दो किलो कोयला, एक अदद लोहे का पंखा/ भट्टी, एक लोहे का ठोस टुकड़ा (निहाई), एक लोहे का शिकंजा जिसको कसने के लिए एक लोहे की राड, एक लोहे की 12 बोर की पाइप 24 अंगुल, 02 अदद हैण्ड मशीन लोहे की छेद करने के वाली, 03 अदद छोटी बड़ी हथौड़ी, एक अदद लोहा काटने की आरी व 08 ब्लेड, 02 अदद छोटे बड़े प्लास, 07 अदद लोहे की छोटी बड़ी रेती, 06 अदद लोहे की छेनी छोटी बड़ी, 05 अदद लोहे की सरिया के टुकडे, 10 अदद लोहे की छोटी बड़ी सुम्मी, 02 अदद लोहे के बाडी के पल्ले, 08 अदद छोटी बड़ी स्प्रिंग, 07 अदद लोहे के ट्रिगर, 27 अदद लोहे का वर्मा छेद करने वाला, 01 अदद बाडी लोहे का, 01 अदद ग्राइंडर मशीन व 04 अदद पत्ते, 01 अदद हैमर मशीन, 04 अदद 315 बोर छोटी बड़ी पाइप, 02 अदद बडे शुम्बा लोहे का, 01 अदद रेगमाल लगभग 02 फीट लम्बा बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त मूलचंद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 276/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
2. मु०अ०सं० 415/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
3. मु०अ०सं० 405/13 धारा 307/504 भा०दं०वि० थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री प्रमोद कुमार मिश्र
2. उ०नि० अरुण उपाध्याय
3. उ०नि० अमरचन्द
4. उ०नि० राम आनन्द पटेल
5. हे०का० विजय शर्मा
6. हे०का० संजीव
7. आरक्षी दीपक गिरि
8. आरक्षी कृष्णगोपाल

एसओजी टीम

1. निरीक्षक जय प्रकाश यादव (एसओजी प्रभारी)
2. हे०का० आशीष मिश्रा
3. हे०का० सत्येंद्र कुमार
4. का० रवि कुमार
5. का० गौरव कुमार
6. का० विकास सिंह
7. का० यशवीर
8. का० शुभम कुमार
9. का० हरीश



रंगदारी मांगने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.01.2025 को थाना अचलगंज क्षेत्र के आस-पास जुआ खेलने वालों को ब्याज पर पैसा देकर जुआ खिलवाना तथा जुआ खेलने वालों से रंगदारी मांगने के संदर्भ में थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 25/2025 धारा 191(2),308(5), 126(2),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दिनांक 23.01.2025 को थाना अचलगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.समीम पुत्र नन्हे खाँ उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम मुगुलपुर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 2. धर्मेन्द्र अवस्थी पुत्र स्व0 सुरेशचन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम हड़हा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 3. देव लखन तिवारी उर्फ राजेश खन्ना पुत्र स्व0 राम मूर्ति तिवारी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मवइया माफी थाना अचलगंज जनपद उन्नाव 4. अजय रैदास पुत्र रामकिशुन उम्र करीब 33 वर्ष निवासी बदरका थाना अचलगंज उन्नाव को गिरफ्तार किया गया था । आज दिनांक 09.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संजय कुमार उर्फ लउआ पुत्र स्व0 सुरेश रैदास नि0 ग्राम शीतलखेडा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 35 वर्ष को कोलुहागाढा मोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय कुमार उर्फ लउआ पुत्र स्व0 सुरेश रैदास नि0 ग्राम शीतलखेडा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 दृगपाल सिंह
- 2.हे0का0 बृजेन्द्र कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 09.02.2025

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।



हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी को 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31.01.2025 को वादी मुकदमा श्री अशोक कुमार पुत्र मानु तिवारी नि० पचोड्डा सराय थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता नयी बस्ती गदन खेड़ा थाना कोतवाली सदर जि० उन्नाव की तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 080/2025 धारा 333/109/115(2) बीएनएस बावत दो अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा गलत इरादे से वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा की पत्नी मंजू देवी को जान से मारने की नीयत से बबूल के हरे डण्डे में लगे लोहे के छल्ले से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के संबन्ध में पंजीकृत कराया गया । दिनांक 03.02.2025 को प्रकाश में आये अभियुक्त कलीम पुत्र चांद नि० कजियाना थाना सफीपुर जनपद उन्नाव वर्तमान पता जुमा मस्जिद तालिब सराय थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था । आज दिनांक 09.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मो० आरिफ पुत्र बसरुद्दीन उर्फ कल्लू नि० ग्राम खमौली थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव अस्थाई निवास दरोगाबाग मुस्कान पैलेस के बगल में थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ ललऊखेड़ा से डीह की ओर जाने वाली नहर पटरी के नीचे जामुन के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो० आरिफ पुत्र बसरुद्दीन उर्फ कल्लू नि० ग्राम खमौली थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव अस्थाई निवास दरोगाबाग मुस्कान पैलेस के बगल में थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

बरामद -

01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 अजीत प्रताप
आरक्षी अभिमन्यु गुप्ता
आरक्षी शिवचरन
आरक्षी शेर सिंह
आरक्षी योगेन्द्र यादव

